राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 2380 / SEIAA/2022
Date: 19/12/22

प्रति,

मेसर्स शर्मा एसोसियेट,
श्री दिनेश सेन आत्मज श्री हल्के प्रसाद सेन, प्रोपराईटर,
देवरी राजमार्ग, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)

विषयः–प्रकरण क. 9386/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स शर्मा एसोसियेट, श्री दिनेश सेन आत्मज श्री हल्के प्रसाद सेन, प्रोपराईटर, देवरी राजमार्ग, जिला नरसिंहपुर (म.प्र)–487330 द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 30000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0, खसरा नं. 01, ग्राम छितौहरा, तहसील पाटन, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण में SEAC समिति की 603वी बैठक दिनांक 04.11.2022 में की गई अनुशंसा उपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 761 वी बैठक दिनांक 08.12.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गयाः–

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के समय परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल इमेज तथा रिर्कोडेड फॉरेस्ट ऐरिया मेप के अनुसार वन क्षेत्र लगभग 110 से 120 मीटर की दूरी पर आ रहा है जबकि प्रकरण के साथ अपलोडिड एकल प्रमाण पत्र (कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र कमाक 1595 दिनाक 24/05/2022) अनुसार 250 मीटर के अंदर कोई वन क्षेत्र नही है । उपरोक्त स्थिति में समिति की अनुशंसा है कि चूंकि परिवेश पर अपलोडिड गूगल इमेज अनुसार आवटित खनन् क्षेत्र वन क्षेत्र से लगभग 110 से 120 मीटर की दूरी पर आ रहा है, अतः परियोजना प्रस्तावक संभागीय आयुक्त समिति का अनुमोदन प्राप्त कर पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्रस्तुत करे तथा प्रकरण अवलोकनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु सिया को अग्रेषित किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 603वी बैठक दिनांक 04.11.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार परिवेश पर अपलोडिड गूगल इमेज अनुसार आवटित खनन् क्षेत्र वन क्षेत्र से लगभग 110 से 120 मीटर की दूरी पर आ रहा है। अतः संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित वन समिति से अनुशंसा प्राप्त कर प्राधिकरण में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रकरण में विचार किया जायेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान) 19/12
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 2381 /SEIAA/2022 दिनांक – 19/12/22

प्रतिलिपिः–

1. संभागीय आयुक्त , जबलपुर संभाग (म.प्र.) की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला – जबलपुर (म.प्र.) की ओर कृपया सूचनार्थ।
3. वन मंडलाधिकारी, जिला – जबलपुर (म.प्र.) की ओर कृपया सूचनार्थ।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी